—प्रेस नोट—

परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना जनपद मीरजापुर।

CUG मो0नं0 – 7839876627

E-Mail ID- ps-cybercrime.mi@up.gov.in

Monster.india.com की वेबसाइट के माध्यम से एक्सिस बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर अलग-अलग मद में 276550/- रु0 धोखाधड़ी करने वाले 03 नफर शातिर अपराधी गिरफ्तार—

दिनांक- 27.05.2022 को वादी श्री आयुष गुप्ता पुत्र के.एम. गुप्ता निवासी विद्युत बिहार कालोनी **NTPC** शक्तिनगर, थाना शक्तिनगर जनपद- सोनभद्र द्वारा बावत **Monster.india.com** की वेबसाइट के माध्यम से एक्सिस बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर अलग अलग मद में 276550/- रु0 धोखाधड़ी के सम्बन्ध में अभियुक्ता मैडम शिवानी अज्ञात के नाम पर थाना शक्तिनगर द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आनलाइल ट्रान्सफर किया गया, जिसपर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0019/2022 धारा- 419/420/120बी भा0द0वि0 व 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अपराध के सफल अनावरण एंव अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उ0प्र0 लखनऊ, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर , श्रीमान् पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम उ0प्र0 लखनऊ व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक यातायात / नोडल अधिकारी साइबर क्राइम थाना डा० अरुण कुमार सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया। विवेचना के क्रम में तकनीकि संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना के दौरान अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गई तो उक्त अभियोग की विवेचना से अभियुक्त 1. भविश कौशिक **S/O** श्याम सुन्दर शर्मा **R/O** सरायझनझन थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर, 2. मोनु यादव **S/O** अवतार सिंह **R/O** जुनैदपुर **PS** सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर, 3. अरुण कुमार **s/o** बले निवासी जुनैदपुर **PS** सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर का नाम प्रकाश में आया। लोकेशन के आधार पर दिनांक- 18.06.2022 को मैं प्रभारी निरीक्षक श्यामबहादुर यादव मय साइबर थाना टीम के प्रकाश में आये अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना सिकन्दराबाद जनपद- बुलन्दशहर में आमद कराकर चौकी खुर्जागेट थाना सिकन्दराबाद के पुलिस कर्मियों की मदद से चौकी से आगे बढ़ा तो जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि जिन अभियुक्तों की तलाश आप कर रहे है उनमें से तीन व्यक्ति सुखलालपुर तिराहे के पास मौजूद है , शीघ्रता करने पर पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर मै निरीक्षक मय फोर्स मय मुखबीर सुखलालपुर तिराहे पर पहुँचा जहाँ पर तीन व्यक्ति खड़े थे जिनके तरफ इशारा करके मुखबीर चला गया। तीनों व्यक्तियों को एक बारगी घेरकर हम पुलिस वालों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त गिरफ्तारशुदा तीनों अभियुक्तों को न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद- बुलन्दशहर के समक्ष प्रस्तुत कर 24 घण्टे का ट्रान्जिट रिमाण्ड प्राप्त कर मय अभियुक्तगण के मय फोर्स के उपस्थित आया। उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को मु0अ0सं0- 0019/2022 धारा- 419/420/120बी भा0द0वि0 व 66डी आईटी एक्ट परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना मीरजापुर में मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछताछ में अरुण यादव ने बताया कि मोनू मेरा चचेरा भाई है, भविश कौशिक मेरा दोस्त है, अमित मेरा जीजा है जो नोएडा में रहता है जो अपना स्वंय का आफिस बनाया है। उसके पास हम लोगों का आना जाना रहता था मेरा जीजा आय दिन हम लोगों से आय दिन बताता था कि आज के समय में किसी के साथ नौकरी करने में कोई फायदा नहीं है अपना स्वंय का व्यवसाय करना चाहिए मै अपना स्वंय का व्यवसाय करके प्रतिदिन अच्छा खासा पैसा कमा लेता हुँ। तुम लोग नौकरी के चक्कर में घुम रहे हो यदि तुम लोग मेरे साथ काम करो नौकरी करना भुल जाओंगे , और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। उनकी बात सुनकर हम तीनों लोगों ने भी उनके साथ काम करने का मन बना लिया और उनके द्वारा जैसा बताया जाता था उसी तरिके से हम लोग भी कार्य करने लगे। और धीरे धीरे हम लोग भी धोखाधड़ी का कार्य सीख गये और लोगों को आनलाईन धोखा देकर उनके खाते से पैसा ट्रान्जेक्शन कर लेते है। हम चारों लोग एक साथ आनलाईन फ्राड करने से सम्बन्धित कार्य करने लगे।

बरामदगी-

1- 04 अदद मोबाइल, 2- 02 अदद पासबुक, 3- 09 अदद एटीएम कार्ड

गिरफ्तारी टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्यामबहादुर यादव, उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव, का0 अमित कुमार सिंह, का0 निशान्त मिश्रा, का0 आशुतोष कुमार सिंह, चालक हे0का0 मेराज अहमद